रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 2001/कार्तिक 30, 1923

No. 584] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2001/KARTIKA 30, 1923

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 856(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2001 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 में—

(i) खंड 2 में,—

(क) उपखंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छछ) 'अनुसूची' से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।"

(ख) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) 'विलायक' से पैट्रोलियम या कोयला से सीधे या परोक्ष रूप में निकाला गया वाष्पशील प्रभाजन अभिप्रेत है और अनुसूची में सम्मिलित है।"

(ii) खंड 3 में, उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) कोई व्यक्ति राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के बिना अनुसूची में सम्मिलित विलायकों का अर्जन, भंडारण और विक्रय नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति सम्मिलित अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए विलायकों का प्रतिमास 50 किलोलीटर या कम का उपभोग करने और 20 किलोलीटर या कम का भंडारण करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी।"

(iii) खंड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6क अनुसूची का संशोधन—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकेगी।"

(iv) खंड 7 के पश्चात् निम्नलिखित 'अनुसूची' अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

[खंड 2 के उपखंड (छछ) और (झ) देखिए]

(1) एसबीपी स्प्रिट/एसबीपी विलायक

(2) सी-9 विलायक/रेफिनेट

(3) सी-6 रेफिनेट

(4) पेन्टेन

(5) सिक्सोन

(6) विलायक 90

(7) हैग्जेन

(8) हेप्टेन

(9) रेसॉल

(10) एनजीएल

(11) एमटीओ

(12) एरोमेक्स

(13) आयोमेक्स

(14) भट्टी तेल

(15) हल्का डीजल तेल (एलडीओ)"

[फा.सं. पी-39014/2/2000-डीआईएसटी]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) में सा.का.नि. 519(अ), तारीख 5 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 21st November, 2001

G.S.R. 856(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order to amend the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, namely :—

1. (1) This Order may be called the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Amendment Order, 2001.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000—

(i) In clause 2,—

(a) after sub-clause (g), the following shall be inserted, namely:—

"(gg) 'Schedule' means the Schedule appended to this Order."

(b) for clause (i), the following, clause shall be substituted, namely:—

"(i) 'Solvent' means volatile fractions derived either directly or indirectly from petroleum or coal and are included in the Schedule."

(ii) In clause 3, for sub-clause (1), the following, shall be substituted, namely :—

"(1) No person shall either acquire, store or sell solvents included in the Schedule, without a licence issued by the State Government or the District Magistrate or any other Officer authorised by the Central or the State Government:

Provided that no such licence shall be required for consumption of 50KLs per month or less and storage of 20 KLs or less of solvents listed in the Schedule combined."

(iii) After clause (6), the following clause shall be inserted, namely :—

"6A Amendment to Schedule.—The Central Government may amend the Schedule by notification published in the Official Gazette."

(iv) After clause 7, the following 'Schedule' shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE

[Please see sub-clause (gg) and (i) of clause 2]

(1) SBP spirits/SBP solvents

(2) C-9 solvents/raffinates

(3) C-6 raffinates

(4) Pentane

(5) Cixon

(6) Solvent 90

(7) Hexane

(8) Heptane

(9) Resol

(10) NGL

(11) MTO

(12) Aromex

(13) Iomex

(14) Furnace Oil (FO)

(15) Light Diesel Oil (LDO)"

[F. No. P-39014/2/2000-Dist.]

S. VIJYARAGHAVAN, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal order was published in Part II, Section 3(i) of the Gazette of India vide GSR 519(E), dated 5th June 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.